

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ.4(ई)/(एस-78/2011)/अलेसे -III/6979-81 दिनांक :- 31.10.14

आदेश

सुश्री शीतल सैनी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय उपकोषाधिकारी, खाजूवाला को उनके आवेदन एवं कोषाधिकारी, बीकानेर द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नानुसार तालिका अनुसार कुल 58 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

| क्र. सं. | असाधारण अवकाश अवधि       |                | अवकाश का कारण    |
|----------|--------------------------|----------------|------------------|
|          | दिनांक                   | कुल अवधि       |                  |
| 1.       | 04.09.2012 से 06.09.2012 | 03 दिवस        | स्वयं की बीमारी  |
| 2.       | 01.01.2013 से 09.01.2013 | 09 दिवस        | घरेलू कार्य      |
| 3.       | 12.04.2013 से 17.04.2013 | 06 दिवस        | घरेलू कार्य      |
| 4.       | 01.05.2013 से 28.05.2013 | 28 दिवस        | स्वयं की बीमारी  |
| 5.       | 30.05.2013 से 10.06.2013 | 12 दिवस        | आर.ए.एस. परीक्षा |
|          | <b>Total</b>             | <b>58 दिवस</b> |                  |

भवदीय



(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एस-78/2011)/अलेसे -III/6979-81 दिनांक :- 31.10.14.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक 913 दिनांक 19.09.2014 के क्रम में।
2. उपकोषाधिकारी खाजूवाला, कोषाधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि सुश्री शीतल सैनी के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
3. सुश्री शीतल सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, उपकोषाधिकारी खाजूवाला, (बीकानेर) को सूचनार्थ प्रेषित है।

4. उप निदेश (कार्मिक) के अनुसार  
कम्प्यूटर वेबसाइट

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)